

9/6/16

पद्मवती राजस्व लेख कार्यालय सिविल
पेडा हुई। गैर लापलाक नं० 29 2 की ओर
से जवाब पेश हुआ। सापला ~~के~~ के
लेख कार्यालय के उप. देने के लिए बारबार
कार्रवाई दिखानी गई। वायजुद लेखन के
अनुपूरण रहा। पद्मवती का अवलोकन में
एक पत्र प्राप्त कि सापला द्वारा प्रत्युल
प्राप्त विवादित भूमि ग्राम हरीरामपुरा एक नं०
933 स्कवा 1.55 ठेके पर ~~सिवा~~ राज. सरकार
रिपोर्ट खालेडा है। सापला द्वारा अपने एक
में कोई सखला चेका नहीं कर लका है। गैर लापला नं० 2
के जवाब प्रामाणिकी प्राप्त जाला है। सापला
द्वारा रिपोर्ट खालेडारी सिवा भयक भूमि
के लिए प्रत्युल वाद के वजाय कुछ आवंन
नियम 1970 के तहत निपटन कराने हेतु

माहान शक्ति के साथ कोडेड पत्र प्रस्तुत
 का अनुलोप प्राप्त करना उचित प्रतीत होता
 है।
 धन! सापन कल्याणनिषेधाना साइकोपेथ
 एवं सुविधा का संतुलन सापन के पत्र के वही
 पाठे जाने के कारण खस्वीका किम आलाय
 के सापन ग I खासि किम आलाय
 पत्रवली फलन सुभा होकर नम्बरे के
 की जाकर वांड लकरीय दाखिल इफल
 की जावे।

निर्णय दि ७/६/१६ के राजस्व लेख
 आदालत डिक्ट में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
 हिण्डोज सिटी, जिला करौली